विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0032213

मेसर्स ओसमेड फारमेशन्स प्रा0लि0, — आवेदक
56–57 औद्योगिक क्षेत्र,
मक्सी रोड़, उज्जैन (म.प्र.) – 456010

विरूद्ध

अधीक्षण यंत्री,
सिटी डिवीजन,
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
उज्जैन (म.प्र.) – 456006

— अनावेदकगण

कार्यपालन यंत्री (संधा./संचा.),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
उज्जैन (म.प्र.) – 456006

आवेदक की ओर से श्री आर.सी. जैन उपस्थित ।
अनावेदक की ओर से श्री अभय कुमार, कार्यपालन यंत्री तथा श्री ए.एल. ठक्कर, सहायक यंत्री उपस्थित ।

आदेश

(आज दिनांक 12.11.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर तथा उज्जैन क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जावेगा) के शिकायत क्रमांक W0250413 मेसर्स ओसमेड फारमेशन्स प्रा0लि0 विरूद्ध मुख्य अभियंता में पारित आदेश दिनांक 30.04.2013 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसके परिसर में दिनांक 12.05.11 को अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा मीटर लगाया गया था जो दिनांक 24.04.11 को फेल हो गया था । मीटर का परीक्षण करने पर जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उससे स्पष्ट होता है कि मीटर

उपभोक्ता की गलती के कारण फैल नहीं हुआ था, अतः मीटर का जो मूल्य उपभोक्ता से वसूल किया गया है, वह उचित नहीं है ।

3. अनावेदक की ओर से उपभोक्ता की शिकायत का विरोध मुख्य रूप से इस आधार पर किया गया था कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर की सुरक्षा का दायित्व उस पर था । मीटर की जांच उपभोक्ता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कराई गई थी । प्राप्त जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि मीटर उपभोक्ता की गलती के कारण जला था, अतः मीटर की कीमत अदा करने के लिए उपभोक्ता उत्तरदाई है ।

4. फोरम ने यह निष्कर्ष दिया है कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर उसकी गलती के कारण फैल हुआ था, अतः मीटर का जो मूल्य उससे वसूल किया गया है उसे वह वापस प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, परन्तु यह सुनिश्चित किया जाए कि उपभोक्ता द्वारा जमा की गई राशि मीटर की अवमूल्यित कीमत हो ।

5. फोरम के उक्त आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि मीटर उपभोक्ता की गलती के कारण जला था, यह अनावेदक की ओर से साबित नहीं किया गया है, अतः मीटर का अवमूल्यित मूल्य उससे वसूल नहीं किया जा सकता है ।

6. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 8.12 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर आदि को सुरक्षित रखने का दायित्व उपभोक्ता पर होता है । धारा 5.6 के प्रावधानों के अनुसार यदि उपभोक्ता की उपेक्षा अथवा गलती से उसके परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरणों को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी लागत जो भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बताई जाएगी, का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा ।

7. विधि के उक्त प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् मीटर उपभोक्ता के परिसर में स्थापित था, उसकी सुरक्षा का दायित्व उपभोक्ता पर था । मीटर जल जाने पर उपभोक्ता द्वारा सशर्त राशि जमा करने पर नया मीटर लगाया गया था । अनावेदक द्वारा उपभोक्ता द्वारा जमा की गई राशि का समायोजन मीटर के मूल्य से किया गया था ।

8. उपभोक्ता के अभ्यावेदन का मुख्य आधार यह है कि मीटर उसकी गलती के कारण नहीं जला था, परन्तु उपभोक्ता ने ऐसा कोई प्रमाण या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि प्रश्नगत् मीटर उसकी गलती या उपेक्षा के कारण नहीं जला था । प्रश्नगत् मीटर की जांच उपभोक्ता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कराई गई थी । रिपोर्ट उपभोक्ता को उपलब्ध थी । ऐसी स्थिति में

उपभोक्ता द्वारा प्रश्नगत् जांच रिपोर्ट के आधार पर इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता था कि जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत् मीटर उसकी उपेक्षा के कारण नहीं जला था ।

9. उपभोक्ता द्वारा मीटर की जांच रिपोर्ट को कोई चुनौती नहीं दी गई है । उसके द्वारा इस आशय का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि प्रश्नगत् मीटर उसकी गलती या उपेक्षा के कारण नहीं जला था । इन परिस्थितियों में फोरम द्वारा उपभोक्ता की शिकायत को निरस्त किए जाने का जो निष्कर्ष दिया है वह उचित तथा तर्कसंगत प्रतीत होता है । अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जानकारी के अनुसार मीटर की 10 प्रतिशत अवमूल्यित (Depreciated) कीमत कम करके वह कीमत उपभोक्ता से ली गई है, अतः इस संदर्भ में भी उपभोक्ता के प्रति किसी तरह का अन्याय किया जाना नहीं पाया जाता है ।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर फोरम के प्रश्नगत् आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है, अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है ।

11. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल